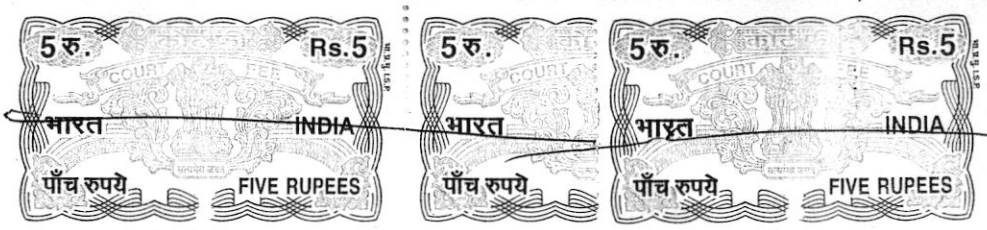

न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 निगरानी

निगरानी – 2627-II/15

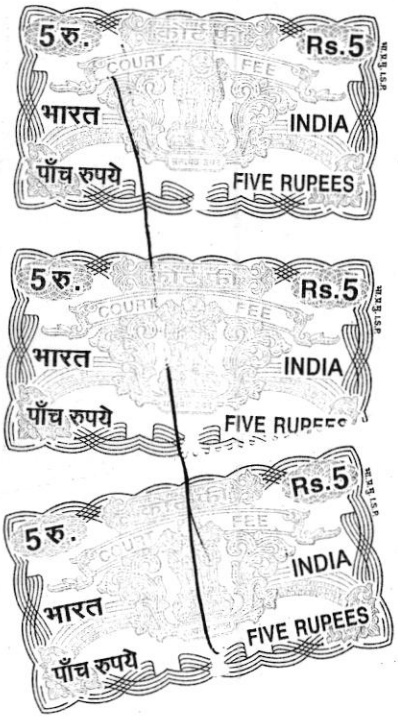

कृष्ण गोपाल पुत्र श्री रामदीन निवासी
कस्बा भाण्डेर, जिला दतिया (म0प्र0)

––प्रार्थी/निगरानीकर्त्ता

दिनांक 14-8-15 को
श्री आर. एस. श्रीवास्तव
अभि० द्वारा प्रस्तुत।

14-8-15
50

विरूद्ध

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामदीन
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री रामदीन, निवासीगण कस्बा भाण्डेर, जिला दतिया (म0प्र0)
3. कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामदीन निवासी कस्बा भाण्डेर, जिला दतिया (म0प्र0)
4. श्रीमती मुन्नीदेवी पुत्री रामदीन इजारदार पत्नी कमलकिशोर गर्ग, सदन सूबे की गोट, कैलाश टॉकीज के पीछे, लश्कर, जिला ग्वालियर म0प्र0

––अनावेदक/गैरनिगरानीकर्त्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 30.03.2010, न्यायालय कलेक्टर, जिला दतिया (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण क्रमांक 12/निगरानी/2007–08 राजेन्द्र प्रसाद बनाम कृष्णा गोपाल एवं अन्य के विरूद्ध निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 216/2009–10 निगरानी में आदेश दिनांक 24.12.2013 को अदम पैरवी में समाप्त की गयी के कारण उत्पन्न वाद कारण से दुखित होकर।

– 2

महोदय,

सेवा में प्रार्थी/निगरानीकर्त्ता निम्नलिखित निगरानी आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत हैः–

(5)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2627–दो/2015 जिला– दतिया

कृष्णगोपाल विरूद्ध राजेन्द्र प्रसाद

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–03–18	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए0 के0 अग्रवाल उपस्थित एवं अनावेदक की ओर से श्री आर0एस0 सेंगर उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के समयविधान की धारा 5 के आवेदन पर तर्क श्रवण किए गये। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा मौखिक तर्को के अतिरिक्त धारा 5 के आवेदन के संबंध में लिखित तर्क भी प्रस्तुत किए गये जिन पर विचार किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 24.12.2013 का अवलोकन किया गया। आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह निगरानी लगभग 20 माह के बिलम्ब से प्रस्तुत की गयी है तथा धारा 5 के आवेदन में अंकित बिलम्ब के कारणों की पुष्टि के संबंध में भी आवेदक अधिवक्ता द्वारा कोई सारवान अभिलेखीय आधार प्रस्तुत नहीं किए गये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में धारा 5 का आवेदन अस्वीकार किया जाता है तथा निगरानी बिलम्ब से प्रस्तुत होने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित कारणों से निरस्त की जाती है। प्रकरण दा0रि0हो। (डॉ0 एम0के0 अग्रवाल) सदस्य	